

2-B

BCA Approval

राष्ट्रीय महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश  
लखनऊ जन-२२७१३३

संख्या-ई.स./जी.एस.  
टिक्सिक ११११ २००४

(II)

लिखक:

\* श्री गण्डपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

लेखक:


कुलसचिव,  
छत्रपति शाहू जी महाविद्यालय,  
कानपुर।

महोदय:

आपके पत्र संख्या- सी.एस.जी.एम.वि.दि./सम्ब./६६६/२००४ दिनांक २०.७.२००४ की महर्य में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय मे उ०प०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(३) के सुर्संगत प्रावधानों एवं संशोधन अधिनियम २००३ की धारा -५ के परन्तुक के अधीन डॉ०वीरेन्द्र स्वरूप इन्डीट्यूट आफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को ची.सी.ए. पाठ्यक्रम मे स्वित पोषित चौजनासार्त नियमिति शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से आगामी हीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की त्वीकृति सहर्ष प्रदान करदी है :-

१. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही निरीक्षण आख्या/ प्रपत्र 'बी' मे दिनांक समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष मे छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
२. संस्था उच्च विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५३/सत्त०८-२-२००३-१६ (८२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ मे उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-न्यय पर इस विषय मे निर्णय शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुर्संगत नियमों का पूर्णत्वपूर्ण परिपालन किया जा रहा है।
३. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली मे वर्णित तथा शायन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुर्संगत प्रावधानों के अन्तर्गत संन्यासी प्रदान की गई सन्वज्ञता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार भी जायेगी।

मंविकीय,

  
(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि नियमिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा विभाग, उ०प०, १८-ए.न्यय नार्ग, इलाहाबाद।
२. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. ग्रन्थालय/प्राचार्य डॉ०वीरेन्द्र स्वरूप इन्डीट्यूट आफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर।

  
(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

2-C

या-ई.स.5537/जी0एस0 दिनांक 11.10.2004 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी के विशेष सचिव, या-राजभवन लखनऊ सचिवीयत कुलाधिय, छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

पत्र संख्या सी०एस०जे०एम०वि०दि०/सन्धि०/९९९/२००३ दिनांक 20.7.2004 के संदर्भ में मुझे आपसे नईदेश हुआ है कि महामहिम कुलधिपति महेदय ने उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की सुसंगत प्राविधिकों एवं संशोधन अधिनियम 2003 की धारा-5 के परन्तुक के अधीन डॉवैरेच ड आफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर कानपुर को बी०सी००० पाठ्यक्रम में स्वयंप्रिय घोषित नलिकित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2004 ते आगामी तीन वर्ष से त्रिवेत्ता को संबद्धता को संवर्कृत की गई।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनदेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 16 अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिवार्षित होगा। इस विषय में निर्गत शासनदेशों का पालन एवं उत्तिवित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनदेशों का पालन एवं उत्तिवित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनदेश एवं अन्य विविध विधालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

१ विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । २०००  
नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है ।  
संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियनावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों  
परिवर्तन को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो ०००० राज्य विश्वविद्यालय  
यम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की  
ही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर  
७०५। /२००४ दिनांक १६-१०-०४

विधिविदी/सम्बोधी २०५१ / २००४

पि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित :-  
क, डायरीन्ड स्वरूप इनटीट्यूट आफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर  
; महानगर शुलाधिपति मलेश्य के उपरोक्त निंदेशों का अनुसालन  
ते जी ने बीसी०सी००० पाठ्यक्रम में 02 सेक्षण प्रति सेक्षण 60  
की कृपा की है।

की कृपा की है।  
 क. कुलसंचिव (परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर  
 ल. कुलसंचिव (अतिरिक्तपरीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर  
 म. मिनजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।  
 ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।

(डा० वी० एक० पाण्डेय)  
कुलसचिव ना। [१]

~~BKA  
Alyorval~~

6

प्राण साक्ष,  
अनु साक्षिव,  
चत्तर प्रदेश वालन।

卷一百一十五

कुलसंविवेचन-  
द्वारा प्रति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,  
काशी।

२८५ दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय

**तिव्यय—** महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की एवीकृति।

५८४

महोदय,  
चुपर्युक्त विषयक आपके दिनांक-३००प्रस०न००एम०विभ०/भा०/६८७/२००७ दिनांक  
अ० ०५.२००७ के संदर्भ में मुझे आपसे मह.कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विषयविधालय  
अधिनियम, १९७३ (व्यासांशोधित च०प्र०राज्य विषयविधालय संशोधन अधिनियम, २००७) की धारा-३०(१) के  
अधीन श्री राज्यपाल डा० वीरेन्द्र रघुवर इन्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर स्टडीज, ८१० छक्कू-१ बलाक, छक्कू,  
उत्तीन श्री राज्यपाल डा० वीरेन्द्र रघुवर इन्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर स्टडीज, ८१० छक्कू-१ बलाक, छक्कू,  
साकेतनगर, कानपुर नगर को बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में स्वित्तपोषित योजनान्तरांत निम्नतिथित दानों के  
अधीन दिनांक ०१.०७.२००७ से सम्बद्धता की सहर्ष खोकृति प्रदान करते हैं।

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर४-२-२००३-१६(९२) / २००२, दिनांक ०२ जुलाई २००३ ने संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर४-२-२००३-१६(९२) / २००२, दिनांक ०२ जुलाई २००३ ने उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गदा शासनादेशों का प्रदान करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित रूप से एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता रूप से उनकी विस्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के सुरक्षित प्रतिलिपि के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई समझौता वापस लिए जाने को कार्यवाही नियमानुसार दी जाएगी।

३५८

( प्रेस इंडियर )  
लन्दू सविव।

मंत्र्या-1995(1) / सत्र-६-2007, रादमिनीका।

यदिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आग्रह्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 निवेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।  
 2 केन्द्रीय उच्च शिक्षा एवं विज्ञान, कानपुर।  
 3 प्रबन्धन / प्राचार्य, लाई वीरेन्द्र एवं अंटीस्पूट आफ कम्प्यूटर सेटिंग्स, ३१० डल्लू-१ छार, जूठी  
 साकेतनगर, कानपुर नगर।  
 4 मार्फ फाइल।

आदि १

27

प्रेम शाक्तर  
अन सचिव

(2)

RCA  
Approval

प्रतिलिपि पञ्च संख्या-1995/सत्तर-6-2007-2(264)/2004 दिनांक 13.08.2007 द्वारा नहानडिम कुलाधिकारी के अनु सचिव, संघविधालय, राज्यपदन, उत्तरराज्य सम्बोधित कुलसचिव, उत्तरपति शाह जी नहानडिम विधालय, कानपुर।

आपके पश्चात तीव्रपंचोत्तमप्रियोगिता/सम्ब/867/2007 दिनांक 30.5.2007 के संदर्भ में मैंने आपसे यह महेन का निर्देश कुठा है कि उत्तरराज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(यथा संघोंका उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संघोंका अध्यादेश, 2007) की पारा-37(2) के अधीन श्री संघविधालय कार्य वीरेन्द्र लक्ष्मण इस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, 810 डल्फू-1 लालक, जूही, साकेत नगर, कानपुर नगर की बीपीसीओप० पाठ्यक्रम वे स्वाक्षित ऐप्लिकेशन के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की संधर्य स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- संस्था उच्च विद्या विभाग द्वारा जारी आसनदेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में अस्तित्वित दिशा-निर्देशों एवं संघविधालय पर इस विषय में निर्गत शासनदेशों का पालन करती।
- पद संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावधी/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित गतीय एवं यात्रकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता की सुनिश्चित नहीं किया जातेगा तो उपर्युक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के कुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था वो प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यालयी नियमानुसार की जायेगी।

उत्तरपति शाह जी नहानडिम विश्वविद्यालय, कानपुर

तीव्रपंचोत्तमप्रियोगिता/सम्ब/ 20३० /2007

दिनांक 19/2/07

प्रतिलिपि निर्वाचित से सूचनार्थ एवं अवध्यक वक्तव्याधी देतु प्रेषित :-

- प्रबन्धक, 310 वीरेन्द्र लक्ष्मण इस्टीट्यूट आप कम्प्यूटर स्टडीज, 810 डल्फू-1 लालक, जूही, साकेत नगर, कानपुर नगर की इन वर्गावधि के प्रेषित है कि नहानडिम कुलाधिकारी व्योदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुसारत वरना सुनिश्चित करें। वस्त्रविधि कुलपति वो के अधिकानुसार यह नी सुनिश्चित करना है कि प्रबन्धक, विकारी का अनुसोदन वर्ष, नियुक्ति पञ्च, व्यापारी वर्ष एवं अनुकूल अव्याधिक समिति एवं प्रबन्धक की वर्ष वर्ष (वाराष्ट्रिय तरीय) विश्वविद्यालय को उपस्थित वराण्य वानर और नहानडिम कुलाधिकारी नवोदय के सम्बद्धता वर्ष में इनियत गतीय की पूर्ण/निरुद्धरात्र कानपुर राज्यविद्यालय कर्तव्य जाए।
- उप कुलाधिकारी(प्रदेश) तीव्रपंचोत्तमप्रियोगिता, कानपुर।
- विस्तृत नैनिक, तीव्रपंचोत्तमप्रियोगिता, कानपुर।
- वीचार, ईडीपीएसेन्ड, तीव्रपंचोत्तमप्रियोगिता, कानपुर।

(नक्षत्र वन्द)

कुलाधिकारी

B.C.A  
Vidya

2579301101  
2570450  
2570882(R)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर  
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

Ref. No. सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सच्च. / 1079 / 2008

दिनांक : 24/07/08

प्राप्तक,

सचिव(प्रबन्ध समिति)

डा० वीरेन्द्र स्वरूप इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज,  
साकेतनगर,  
कानपुर

विषय- स्नातक स्तर पर बी0सी0ए० पाठ्यक्रम में पूर्व से निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों  
वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 05.07.2008 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डा० वीरेन्द्र<sup>१</sup>  
स्वरूप इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेतनगर, कानपुर की निरीक्षण आँखा के अनुसार आदेशानुसार  
महाविद्यालय को स्नातक त्वर पर बी0सी0ए०-पाठ्यक्रम में पूर्व से स्थीकृत 540 सीटों के अतिरिक्त सीटों  
एक सेवसन 60 छात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भववीय,

४  
(महेश चन्द्र)  
कुलसचिव  
ग्रन्थी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।
- इचार्ज ई0डी0पी०, सी0एस0जे0एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।